



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/351

विवि.सीआरई.आरईसी.270/07-03-008/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 (25 अगस्त, 2026 तक अद्यतन)

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक	3
अध्याय II - गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए लागू दिशानिर्देश – बेस लेयर	10
अध्याय III - गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पर लागू दिशानिर्देश – मिडिल लेयर	12
अध्याय IV - गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लागू दिशानिर्देश – अपर लेयर.....	16
अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान.....	23
अनुबंध - I.....	24



परिचय

किसी एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए एक्सपोजर की संकेन्द्रण महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आनुपातिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को स्वीकार किया और इसलिए लागू गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया है कि वह कतिपय विनियामक प्रतिबंध लगाकर ऋण/निवेश के संकेन्द्रण का समाधान करें, विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में किसी भी अवांछनीय संकेन्द्रण से बचने के लिए आंतरिक एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करें और विनियामक सलाह के अनुसार एक्सपोजर मानदंडों को ध्यान में रखें। आनुपातिक विनियामक दृष्टिकोण के आधार पर, आरबीआई ने बाद में अपर लेयर में एनबीएफसी के लिए बृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क का विस्तार किया।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/विधियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. (1) यह निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित किए जाएंगे) पर लागू होंगे:
 - (i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी;
 - (ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी;
 - (iii) फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फैक्टर;
 - (iv) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई;



- (v) एनबीएफसी-आईएफसी आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत;
- (vi) आईडीएफ-एनबीएफसी आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत;

¹[*बशर्ते कि* सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को उस लेयर पर लागू संकेंद्रण मानदंडों और सीमाओं द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें उसे वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को संकेंद्रण मानदंडों से प्रदान की गई छूट वापस ले ली गयी है।

स्पष्टीकरण: भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 के जारी किए जाने की तारीख को सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के किसी भी उल्लंघन (जिसमें मौजूदा स्वीकृत सीमाओं का आहरण भी शामिल है), यदि कोई हो, को इस शर्त के अधीन परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होगी कि ऐसे उधारकर्ताओं के प्रति कोई अतिरिक्त एक्सपोजर नहीं लिया जाएगा। तथापि, मिडिल लेयर या अपर लेयर में आने वाली सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक एक्सपोजर ले सकती है, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त एक्सपोजर पात्र क्रेडिट जोखिम अंतरण साधनों द्वारा पूर्णतः सुरक्षित किए गए हों, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध वृद्धिशील एक्सपोजर शून्य हो।]

(2) (i) पैराग्राफ 7, 14, 16, 19, 22 और 23 को छोड़कर इन निदेशों में दिए गए प्रावधान एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एचएफसी पर लागू होंगे।;

(ii) अध्याय IV में दिए गए प्रावधान अपर लेयर में वर्गीकृत बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एमजीसी पर लागू होंगे;

(iii) पैराग्राफ 24 में दिए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एसपीडी पर लागू होंगे।

(3) ये निदेश बेस लेयर (एनबीएफसी - बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी - एमएल), और अपर लेयर (एनबीएफसी - यूएल) में एनबीएफसी पर लागू होंगे, जो संबंधित अध्यायों में निर्दिष्ट श्रेणी-वार प्रयोज्यता के अधीन होंगे।

¹ दिनांक 24 जून, 2026, के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 के माध्यम से अंतःस्थापित



नोट: एनबीएफसी-बीएल पर लागू निदेश एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल पर भी लागू होंगे, और जो एनबीएफसी-एमएल पर लागू होते हैं, वे एनबीएफसी-यूएल पर लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

(4) ये निदेश निम्नलिखित के लिए लागू नहीं हैं:

- (i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी;
- (ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एए;
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी;
- (iv) एनओएफएचसी आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।
- (v) ²[एनबीएफसी जो 'टाइप 1 एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक है], और
- (vi) 'एनबीएफसी-बीएल के पास ग्राहक इंटरफेस है लेकिन सार्वजनिक धन का लाभ नहीं उठा रहा है'।

नोट: इन निदेशों के तहत प्रयोज्यता एनबीएफसी के लिए नियामक संरचना के अनुरूप है, जैसा कि [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा\) निदेश, 2025](#) में निर्धारित किया गया है।

सी. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में, जब तक संदर्भ अन्यथा न बताए, यहाँ प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जो आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

- (1) "नियंत्रण" का अर्थ है अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या मतदान करार के आधार पर या किसी अन्य तरीके से (कंपनी अधिनियम की धारा 2 का खंड (27) शामिल है, 2013)।
- (2) "पात्र पूंजी आधार" का अर्थ है टियर 1 पूंजी जैसा कि इन निदेशों के पैराग्राफ 4 (8) में परिभाषित किया गया है।

² दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) संशोधन निदेश, 2026 द्वारा 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया।



(3) "जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों का समूह" का अर्थ है दो या दो से अधिक (प्राकृतिक या विधिक) व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करते हैं:

(i) **नियंत्रण संबंध:** एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण होता है, या ऐसे व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष के सामान्य नियंत्रण में होते हैं (भले ही एनबीएफसी का तीसरे पक्ष से संपर्क हो या नहीं)। नियंत्रण संबंध मानदंड स्वचालित रूप से संतुष्ट होता है यदि एक इकाई के पास दूसरी इकाई के मतदान अधिकारों का 50 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व होता है।

(ii) **आर्थिक अन्योन्याश्रयता:** आर्थिक अन्योन्याश्रयता के आधार पर जुड़ाव स्थापित करने में, एक एनबीएफसी कम से कम, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

ए. जहां एक प्रतिपक्ष की सकल प्राप्तियों या सकल व्यय (वार्षिक आधार पर) का 50 प्रतिशत या उससे अधिक दूसरे प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन से प्राप्त होता है।

बी. जहां एक प्रतिपक्ष ने दूसरे प्रतिपक्ष के प्रदर्शन की पूरी तरह या आंशिक रूप से गारंटी दी है, या अन्य तरीकों से उत्तरदायी है, और एक्सपोजर इतना महत्वपूर्ण है कि दावा होने पर गारंटर के चूक होने की संभावना है।

सी. जहां एक प्रतिपक्ष के उत्पादन/उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरे प्रतिपक्ष को बेचा जाता है, जिसे अन्य ग्राहकों द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

डी. जब दोनों प्रतिपक्षों के ऋणों को चुकाने के लिए धन का अपेक्षित स्रोत समान होता है और किसी भी प्रतिपक्ष के पास आय का एक और स्वतंत्र स्रोत नहीं होता है जिससे ऋण की सेवा की जा सकती है और पूरी तरह से चुकाया जा सकता है।

ई. जहां यह संभावना है कि एक प्रतिपक्ष की वित्तीय समस्याएं देनदारियों के पूर्ण और समय पर पुनर्भुगतान के मामले में अन्य प्रतिपक्षों के लिए कठिनाइयों का कारण बनेंगी।

एफ. जहां एक प्रतिपक्ष की दिवालियापन या चूक दूसरे के दिवालियापन या चूक से जुड़ी होने की संभावना है।

जी. जब दो या दो से अधिक प्रतिपक्ष अपने अधिकांश धन के लिए एक ही स्रोत पर भरोसा करते हैं और, सामान्य प्रदाता के डिफॉल्ट की स्थिति में, एक वैकल्पिक प्रदाता नहीं मिल सकता है, तो इस मामले में एक ही मुख्य फंडिंग स्रोत पर एक-तरफ़ा या दो-तरफ़ा निर्भरता के कारण एक प्रतिपक्ष की फंडिंग समस्याएं दूसरे में फैलने की संभावना है।



एच. ऐसे मामलों से बचने के लिए जहां आर्थिक अन्योन्याश्रितताओं की गहन जांच एक्सपोजर के आकार के अनुपात में नहीं होगी, एक एनबीएफसी से उन सभी मामलों में आर्थिक निर्भरता के आधार पर संभावित सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों की पहचान करने की उम्मीद की जाती है, जहां एक व्यक्तिगत प्रतिपक्ष को सभी एक्सपोजर का योग पात्र पूंजी आधार के पांच प्रतिशत से अधिक है, न कि अन्य मामलों में।

(4) **“अवसंरचना ऋण”** से तात्पर्य किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा उधारकर्ता को दी जाने वाली ऋण सुविधा से है, जो सावधि ऋण, परियोजना ऋण, परियोजना वित्त पैकेज के हिस्से के रूप में अधिग्रहीत किसी परियोजना कंपनी के बांड/डिबेंचर/वरीयता शेयर/इक्विटी शेयर की सदस्यता, जिसमें सदस्यता राशि “अग्रिम के रूप में” हो, या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवसंरचना उप-क्षेत्रों में निवेश के लिए दी जाने वाली किसी अन्य प्रकार की दीर्घकालिक वित्तपोषित सुविधा के रूप में हो सकती है।

³बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को दिए गए अवसंरचना ऋण को 'उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं' को दिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

- (i) अवसंरचना परियोजना ने वाणिज्यिक संचालन पूरा होने की तिथि प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का संचालन पूरा कर लिया हो, और ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित किसी भी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन न किया गया हो।
- (ii) ऋणदाता की पुस्तकों में इस एक्सपोजर को मानक वर्गीकृत किया गया हो।
- (iii) उधारकर्ता का राजस्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था, या किसी वैधानिक या नियामक निकाय द्वारा रियायत / अनुबंध के तहत दिए गए अधिकारों पर निर्भर करता हो, और अनुबंध के प्रावधान इन अधिकारों की रक्षा पूरी रियायत / अनुबंध अवधि के लिए करते हों, जब तक कि उधारकर्ता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करता है।
- (iv) रियायत / अनुबंध के प्रावधान ऋणदाता के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हों, जिसमें न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) नकदी प्रवाह को सुरक्षित रखने के लिए एस्क्रो / ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट तंत्र का प्रावधान; (ii) सभी चल और अचल परिसंपत्तियों पर ऋणदाता के पक्ष में समतुल्य प्रभार; और (iii) समय से पहले अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में ऋणदाताओं के लिए

³ दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2026 से अंतःस्थापित।



जोखिम को कम करने के उपाय (जैसे- ऋणदाताओं के लिए स्टेप-इन अधिकार, न्यूनतम टर्मिनेशन भुगतान आदि)।

(v) ऋणदाता के आकलन के अनुसार, उधारकर्ता के पास परियोजना की वर्तमान और भविष्य की कार्यशील पूंजी तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक या बाहरी वित्तीय व्यवस्थाएं हों।

(vi) उधारकर्ता को ऐसा कोई भी कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया हो जो ऋणदाता के हितों के प्रतिकूल हो, जैसे- मौजूदा ऋणदाताओं की सहमति के बिना परियोजना के नकदी प्रवाह और परिसंपत्तियों के एवज में अतिरिक्त ऋण जारी करने या उन्हें आगे प्रभारित/गिरवी करने पर प्रतिबंध हो।]

(5) **"बृहद एक्सपोजर"** का अर्थ है पैराग्राफ 41 के संदर्भ में मापे गए एनबीएफसी-यूएल के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग, एक प्रतिपक्ष और/या जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए, यदि यह एनबीएफसी-यूएल के पात्र पूंजी आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है।

(6) **"एनओएफएचसी"** का अर्थ है रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर- परिचालित वित्तीय धारिता कंपनी) निदेश, 2025 में संदर्भित एक गैर-जमा लेने वाला एनबीएफसी, जो एक बैंकिंग कंपनी के शेयर और उसके समूह में अन्य सभी वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयर रखता है, चाहे वह रिज़र्व बैंक द्वारा या किसी अन्य वित्तीय नियामक द्वारा विनियमित हो, लागू विनियामक सलाह के तहत अनुमेय सीमा तक।

(7) ⁴**"स्वाधिकृत निधियां"** का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अध्याय II में दिया गया है।

(8) ⁵**"टियर 1 पूंजी"** का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अध्याय II में दिया गया है। हालांकि, एकाग्रता मानदंडों के प्रयोजन के लिए, एनबीएफसी पूंजी के संवर्द्धन के पूरा होने पर बाहरी लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और उसे पूंजी निधियों में संवर्द्धन की गणना करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करेंगे।]

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन

⁴ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) के परिणामस्वरूप, 10 मार्च, 2026 से अंतःस्थापित।

⁵ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) के परिणामस्वरूप, 10 मार्च, 2026 से अंतःस्थापित।



या पुनः अधिनियमन के तहत या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने के रूप में, जैसा भी मामला हो, के तहत उन्हें सौंपा गया है।



अध्याय II - गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए लागू दिशानिर्देश – बेस लेयर

ए. बोर्ड की भूमिका

6. बेस लेयर में स्थित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति लागू करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं/पार्टियों के एकल समूह दोनों के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण सीमा।
- (2) उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों के संबंध में सीमाएं, विशेष रूप से असुरक्षित उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए सीमाएं।

बी. ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड

7. किसी (एनओएफएचसी) के स्वामित्व वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को ऐसा नहीं करना चाहिए:

- (1) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह संस्थाओं या प्रमोटर समूह से जुड़े व्यक्तियों या एनओएफएचसी के प्रति किसी भी प्रकार का ऋण (इक्विटी/ऋण पूंजी उपकरणों में निवेश सहित क्रेडिट और निवेश) होना;
- (2) एनओएफएचसी के अंतर्गत किसी भी वित्तीय संस्था में इक्विटी/ऋण पूंजी उपकरणों में निवेश करना; और
- (3) अन्य एनओएफएचसी के इक्विटी उपकरणों में निवेश करना।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, 'प्रमोटर' और 'प्रमोटर समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालित वित्तीय धारिता कंपनी) निदेश, 2025 में इन शब्दों को दिया गया है।

8. एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को एकल उधारकर्ता/पक्ष और उधारकर्ताओं/पक्षों के एकल समूह दोनों के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण सीमा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक नीति लागू करनी होगी। एक्सपोजर की गणना अध्याय III में दिए गए एनबीएफसी-एमएल के समान ही की जाएगी।

बी.1 ऋण मानकों को सुदृढ़ बनाना

9. एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी मौजूदा क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमाओं की समीक्षा करनी होगी और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले उपभोक्ता ऋण के विभिन्न उप-खंडों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। विशेष रूप से, सभी असुरक्षित उपभोक्ता ऋण जोखिमों के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इनकी निरंतर निगरानी की जाएगी।



10. किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा चल संपत्तियों (जैसे कि वाहन) के बदले दिए गए सभी टॉप-अप ऋणों को, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यहासशील प्रकृति के होते हैं, ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमा और एक्सपोजर निर्धारण के उद्देश्यों के लिए असुरक्षित ऋण माना जाएगा।

बी.2 आईपीओ फंडिंग पर सीमा

11. आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की सीमा होगी। एक एनबीएफसी अधिक रूढ़िवादी सीमाएँ निर्धारित कर सकता है।



अध्याय III - गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पर लागू दिशानिर्देश – मिडिल लेयर

ए. बोर्ड की भूमिका

12. मिडिल लेयर की गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति लागू करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) पूंजी बाजार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति एक्सपोजर के लिए संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजर (एसएसई) के लिए अलग-अलग आंतरिक सीमाएं।
- (2) शर्तों के अधीन समग्र एसएसई आंतरिक सीमाओं के भीतर, बोर्ड के विवेक पर विभिन्न उप-सीमाओं का निर्धारण।

बी. ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड (एनबीएफसी-यूएल पर लागू नहीं)

13. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) को छोड़कर) का एक्सपोजर (क्रेडिट/निवेश मिलाकर) इससे अधिक नहीं होना चाहिए।

- (1) अपनी टियर 1 पूंजी का 25 प्रतिशत हिस्सा एक ही पार्टी को; और
- (2) अपनी टियर 1 पूंजी का 40 प्रतिशत हिस्सा पार्टियों के एक ही समूह को।

बशर्ते कि एक एनबीएफसी किसी भी एक पार्टी के लिए पांच प्रतिशत और पार्टियों के एक समूह के लिए 10 प्रतिशत तक एक्सपोजर मानदंड से अधिक हो सकता है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर बुनियादी ढांचा ऋण और/या निवेश के कारण है।

14. एनबीएफसी-आईएफसी का एक्सपोजर (क्रेडिट/निवेश मिलाकर) इससे अधिक नहीं होना चाहिए।

- (1) अपनी टियर 1 पूंजी का 30 प्रतिशत हिस्सा एक ही पार्टी को; और
- (2) अपनी टियर 1 पूंजी का 50 प्रतिशत हिस्सा पार्टियों के एक ही समूह को।
- (3) ⁶[उपर्युक्त अनुच्छेद 13 और 14 में उल्लिखित मानदंडों के अनुपालन के लिए लागू टियर 1 पूंजी का निर्धारण, एनबीएफसी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (लेखापरीक्षित या सीमित समीक्षा के अधीन) के आधार पर किया जाएगा।]

⁶ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) के परिणामस्वरूप, 10 मार्च, 2026 से अंतःस्थापित।



(4) ⁷[इस संदर्भ में "टियर 1 पूंजी" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अनुच्छेद 10 में परिभाषित है।]

15. किसी अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश की सीमा किसी बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में किसी एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

16. एक्सपोजर मानदंड किसी भी ऐसी एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे जो न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में सार्वजनिक धन का उपयोग करती है और न ही गारंटी जारी करती है।

17. एक्सपोजर मानदंड लागू नहीं होंगे:

(1) एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा शेयरों में किए गए निवेश

(i) इसकी अनुषंगी कंपनियाँ;

(ii) एक ही समूह की कंपनियां,

स्वाधिकृत निधियों से एनओएफ की गणना के लिए जितनी राशि कम की गई है, उस सीमा तक; और

(2) डिबेंचर, बांड, बकाया ऋण और अग्रिमों (किराया-खरीद और लीज फाइनेंस सहित) का बुक वैल्यू और जमा –

(i) एनबीएफसी की अनुषंगी कंपनियां; और

(ii) एक ही समूह की कंपनियां,

एनओएफ की गणना के लिए उन्हें स्वाधिकृत निधियों से कम कर दिया गया है।

(3) नीचे सूचीबद्ध एक्सपोजर भी एक्सपोजर मानदंडों से मुक्त रहेंगे:

(i) भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक्सपोजर, जो एनबीएफसी पर लागू पूंजी विनियमों के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं।

नोट: राज्य सरकार द्वारा एनबीएफसी-एमएल के जोखिमों की भरपाई के लिए दी गई गारंटी की सीमा तक, जोखिम भार 20 प्रतिशत के साथ राज्य सरकार पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य सरकार पर एक्सपोजर स्थानांतरित करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) ऐसा निवेश जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों की गारंटी भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से दी जाती है।

⁷ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) के परिणामस्वरूप, 10 मार्च, 2026 से अंतःस्थापित।



18. एक एनबीएफसी एक ही पार्टी/पार्टियों के एकल समूह को दिए गए ऋण के संबंध में एक नीति तैयार करेगी।

19. ⁸[*****]

सी. एक्सपोजर का आकलन – क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण उपकरण (एनबीएफसी-यूएल पर लागू नहीं)

20. एक प्रतिपक्ष के लिए कुल एक्सपोजर जिसमें ऑन और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर दोनों शामिल हैं, की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक में पूंजी गणना के लिए निर्धारित विधि के आधार पर की जाएगी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025/लागू निदेश; यानी, ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर को बकाया राशि पर गिना जाएगा (नेटिंग की अनुमति केवल उन आस्तियों के लिए है जहां मूल्यहास या खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान है) जबकि बैलेंस शीट के बाहर के एक्सपोजरों को पूंजी आवश्यकताओं के तहत निर्धारित क्रेडिट रूपांतरण कारक लागू करके क्रेडिट जोखिम समतुल्य में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के संदर्भ में अंतर्निहित प्रतिपक्ष को एक्सपोजर ऑफसेट करने के लिए क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधन के रूप में अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, एक्सपोजर की भरपाई नीचे सूचीबद्ध क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण उपकरणों से भी की जाएगी:

- (1) नकद मार्जिन / सावधानी राशि / सुरक्षा जमा राशि जो उधारकर्ता की ओर से उन ऋणों के बदले संपार्श्विक के रूप में रखी जाती है जिन पर समायोजन का अधिकार उपलब्ध है;
- (2) केंद्र सरकार की गारंटी जो पूंजी गणना के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करती है;
- (3) राज्य सरकार की गारंटी पूंजी गणना के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करेगी। इस हद तक कि एनबीएफसी-एमएल द्वारा एक्सपोजर की भरपाई के लिए राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग किया जाता है, एक्सपोजर 20 प्रतिशत के लागू जोखिम भार के साथ राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार पर एक्सपोजर के स्थानांतरण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है; और
- (4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन एनसीजीटीसी के तहत सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और व्यक्तिगत योजनाओं के तहत जारी की गई गारंटी।

⁸ दिनांक 24 जून, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) द्वारा विलोपित।



बशर्ते कि क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधन के रूप में पात्र होने के लिए, उपरोक्त पैराग्राफ 20 (2) 20 (3) और 20 (4) के संबंध में गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त होगी।

21. यह सीमाएं किसी एनबीएफसी द्वारा अपने समूह की कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं के साथ-साथ उधारकर्ताओं/निवेशकर्ता इकाई के समूह को दिए गए ऋण पर लागू होंगी।

डी. फैक्ट्रिंग लेनदेन

22. 'दायित्व-सहित' आधार पर फैक्ट्रिंग के मामले में, एक्सपोजर की गणना असाइनर पर की जाएगी।

23. 'दायित्व-रहित के' आधार पर फैक्ट्रिंग के मामले में, ऋण जोखिम कवर/प्रदान की गई सुरक्षा के बावजूद, ऋण जोखिम कवर / प्रदान किए गए संरक्षण के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्रिंग के मामलों को छोड़कर, जहां आयात कारक द्वारा संपूर्ण ऋण जोखिम ग्रहण किया गया है, ऋणदाता पर एक्सपोजर की गणना की जाएगी।

ई. संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर (एसएसई)

24. पूंजी बाजार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) और वाणिज्यिक अचल संपत्ति में निवेश को एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए संवेदनशील निवेश माना जाएगा, जिसे पूंजी बाजार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति में निवेश के लिए अलग-अलग एसएसई के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के गतिशील जोखिम आकलन और व्यवसाय पर उनके संभावित प्रभाव पर विचार कर सकती है, ताकि आंतरिक एक्सपोजर सीमा निर्धारित की जा सके। यद्यपि बोर्ड समग्र एसएसई आंतरिक सीमाओं के भीतर विभिन्न उप-सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी निम्नलिखित विशेष रूप से निर्धारित हैं:

- (1) भूमि अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए आंतरिक रूप से वाणिज्यिक अचल संपत्ति एक्सपोजर सीमा के भीतर एक उप-सीमा तय की जाएगी।
- (2) आईपीओ फंडिंग पर सीलिंग प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए है। एक एनबीएफसी अधिक रूढ़िवादी सीमाएं तय कर सकता है।



अध्याय IV - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लागू दिशानिर्देश – अपर लेयर

ए. बोर्ड की भूमिका

25. अपर लेयर में एनबीएफसी संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) ऐसी शर्तें जिनके तहत 20 प्रतिशत से अधिक (आईएफसी के अलावा अन्य एनबीएफसी के लिए) / 25 प्रतिशत (आईएफसी के लिए) एक एकल प्रतिपक्ष को।
- (2) जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए नीति।
- (3) अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आंतरिक एक्सपोजर सीमा (एसएसई आंतरिक सीमाओं के अलावा) जिन पर ऋण बढ़ाया जाता है।
- (4) एनबीएफसी क्षेत्र में एक्सपोजर की सीमाएं।

बी. बृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ)

26. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) में ऋण एक्सपोजर के संकेंद्रण का समाधान करने के उद्देश्य से जोखिम मानदंडों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य बृहद जोखिमों की पहचान करना, संबंधित प्रतिपक्षों के समूहीकरण के मानदंडों को परिष्कृत करना और बृहद जोखिमों के लिए रिपोर्टिंग मानदंडों को स्थापित करना है।

बी.1 आवेदन का दायरा

27. ये दिशानिर्देश गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) पर एकल स्तर और समेकित (समूह) स्तर दोनों पर लागू होंगे।

28. इसमें एनबीएफसी द्वारा किए गए तुलन पत्र की और तुलन पत्रेतर दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल होंगे।

बी.2 प्रतिपक्षों का दायरा और छूट

29. नीचे सूचीबद्ध जोखिमों को छोड़कर, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के सभी प्रतिपक्षों और उनसे जुड़े प्रतिपक्षों के समूहों के प्रति एक्सपोजर को एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा। एलईएफ से छूट प्राप्त एक्सपोजर नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (1) भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रति ऐसे एक्सपोजर, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर लागू पूंजी विनियमों के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं;



9[नोट: राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा भरपाई किए गए एक्सपोजर को गारंटी देने वाली राज्य सरकार के प्रति एक्सपोजर माना जाएगा। ऐसे एक्सपोजर को विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से छूट प्राप्त होगी। हालांकि, चूंकि इस मामले में क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण राज्य सरकार की गारंटी होगी, इसलिए ऐसे भरपाई जोखिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा।]

- (2) ऐसा एक्सपोजर जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है;
- (3) एनओएफ में पहुंचने के लिए समूह संस्थाओं के लिए एनबीएफसी का एक्सपोजर जो उसके स्वामित्व वाले फंड से काट लिया जाता है; और
- (4) बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश उस सीमा तक जिसकी विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गई हो।

30. पैराग्राफ 41 में दर्शाए गए सिद्धांत के अनुसार ऋण जोखिम हस्तांतरण उपकरणों के साथ एक्सपोजर को ऑफसेट करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे उपकरणों की सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

- (1) नकद मार्जिन / सावधानी राशि / सुरक्षा जमा राशि जिसके विरुद्ध समायोजन का अधिकार उपलब्ध है, जिसे अग्रिमों के बदले संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है;
- (2) केंद्र सरकार की गारंटी जो पूंजी गणना के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करती है;
- (3) राज्य सरकार गारंटी देती है जो पूंजी गणना के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करती है; और
- (4) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन एनसीजीटीसी के तहत सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और व्यक्तिगत योजनाओं के तहत जारी की गई गारंटी।

बशर्ते कि क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधन के रूप में पात्र होने के लिए, उक्त पैराग्राफ 30 (2), 30 (3) और 30 (4) के संबंध में गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त होगी।

- (5) वर्तमान श्रेणी में रखे गए और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) द्वारा हेज किए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, जहां सीडीएस और हेज्ड बॉन्ड के बीच कोई बेमेल नहीं है, क्रेडिट प्रोटेक्शन को एक्सपोजर हेज के अधिकतम 80 प्रतिशत तक मान्यता देने की अनुमति दी गई है। शेष 20 प्रतिशत एक्सपोजर को मूल प्रतिपक्ष पर मान्यता दी जाएगी। स्थायी श्रेणी में रखे गए और सीडीएस द्वारा हेज किए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, जहां सीडीएस और हेज्ड बॉन्ड के बीच कोई बेमेल नहीं है, एनबीएफसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए पूर्ण

⁹ दिनांक 24 जून, 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) द्वारा अंतःस्थापित किया गया।



क्रेडिट सुरक्षा को मान्यता दे सकता है। मूल प्रतिपक्ष का एक्सपोजर सुरक्षा विक्रेता के संपर्क में आने से पूरी तरह से प्रतिस्थापित होगा।

(6) अन्य सभी मामलों में पैराग्राफ 30 (1) और 30 (2) को छोड़कर जहां मूल प्रतिपक्ष पे एक्सपोजर किसी अन्य प्रतिपक्ष द्वारा प्रदान किए गए पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधन के कारण कम हो जाता है, इसे क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधन प्रदाता पर उस सीमा तक एक्सपोजर के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

31. जहां संप्रभु छूट के दायरे से बाहर आने वाली दो (या अधिक) संस्थाओं को एक ऐसी इकाई द्वारा नियंत्रित या आर्थिक रूप से निर्भर किया जाता है जो संप्रभु छूट (पैराग्राफ 29 (1)) के दायरे में आती है, और अन्यथा जुड़ी नहीं हैं, उन संस्थाओं को जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह का गठन करने के लिए नहीं माना जाएगा।

32. एक छूट प्राप्त इकाई के लिए एनबीएफसी के एक्सपोजर को क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा हेज किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि मूल एक्सपोजर को छूट दी गई है, क्रेडिट सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रतिपक्ष के लिए एक एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा।

बी.3 बृहद एक्सपोजर सीमाएँ

बी.3.1 एकल प्रतिपक्ष

33. एक एकल प्रतिपक्ष के लिए एनबीएफसी के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग हर समय एनबीएफसी के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

34. एनबीएफसी का बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 20 प्रतिशत से अधिक किंतु किसी भी समय पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं, अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर की अनुमति दे सकता है:

- (1) एनबीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति है जिसमें उन शर्तों का उल्लेख है जिनके तहत 20 प्रतिशत से अधिक एक्सपोजर लिया जा सकता है; और
- (2) एनबीएफसी को उन असाधारण कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा जिनके तहत किसी विशिष्ट मामले में 20 प्रतिशत से अधिक एक्सपोजर की अनुमति दी जा रही है।

बशर्ते कि एक एनबीएफसी-आईएफसी किसी एक प्रतिपक्ष के प्रति एक्सपोजर के लिए टियर 1 पूंजी के पांच प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा को और बढ़ा सकती है।

बशर्ते कि एक एनबीएफसी एकल प्रतिपक्ष के एक्सपोजर के लिए अपनी टियर 1 पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक हो सकता है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर बुनियादी ढांचे 'ऋण और/या निवेश' के कारण है।



हालांकि, एनबीएफसी (आईएफसी के अलावा) के लिए एकल प्रतिपक्ष सीमा किसी भी मामले में 25 प्रतिशत और एनबीएफसी-आईएफसी के लिए 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

बी.3.2 कनेक्टेड प्रतिपक्षों के समूह

35. किसी एनबीएफसी के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग किसी समूह से जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए हर समय एनबीएफसी के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

¹⁰[*बशर्ते कि एक आईएफसी संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के प्रति एक्सपोजर अपनी टियर 1 पूंजी के 20 प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा से अधिक जा सकता है।*]

बशर्ते कि एक एनबीएफसी संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के प्रति एक्सपोजर अपनी टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा से अधिक जा सकता है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर अवसंरचना 'ऋण और/या निवेश' के कारण है।

36. एक एनबीएफसी जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति तैयार करेगा। ऐसी नीति के तहत बनाई गई नीति और किए गए आकलन पर्यवेक्षी जांच के अधीन होंगे।

37. असाधारण मामलों में, यदि कोई एनबीएफसी आरबीआई को यह प्रदर्शित करता है कि नियंत्रण स्थापित होने के बावजूद, ऐसा नियंत्रण आवश्यक रूप से संबंधित संस्थाओं को जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों का समूह गठित करने वाला नहीं बनाता (उदाहरण के लिए, विशिष्ट परिस्थितियों और कॉर्पोरेट प्रशासन सुरक्षा उपायों के कारण प्रतिपक्षों के बीच नियंत्रण का अस्तित्व), तो संस्थाओं को जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

38. असाधारण मामलों में, यदि कोई एनबीएफसी आरबीआई को यह प्रदर्शित कर सकता है कि एक प्रतिपक्ष जो किसी अन्य प्रतिपक्ष से आर्थिक रूप से निकटता से संबंधित है, एक उचित समय अवधि के भीतर वैकल्पिक व्यापार भागीदारों या वित्त पोषण स्रोतों को ढूंढकर वित्तीय कठिनाइयों, या यहां तक कि दूसरे प्रतिपक्ष के चूक को दूर कर सकता है, तो संस्थाओं को जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

39. एनबीएफसी के लिए एलईएफ सीमाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

(पात्र पूंजी आधार के प्रतिशत के अनुसार)		
	एनबीएफसी (आईएफसी के अलावा)	एनबीएफसी (आईएफसी)

¹⁰ दिनांक 24 जून, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) द्वारा संशोधित किया गया।



एकल प्रतिपक्ष	20 प्रतिशत बोर्ड के अनुमोदन के साथ अतिरिक्त पांच प्रतिशत अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत अतिरिक्त पांच प्रतिशत (एकल प्रतिपक्ष सीमा किसी भी मामले में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)	25 प्रतिशत बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त पांच प्रतिशत
जुड़े प्रतिपक्षकारों का समूह	25 प्रतिशत अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए एक्सपोजर होने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत	¹¹ [45 प्रतिशत]

¹²[39A. एनबीएफसी-आईएफसी पर लागू होने वाली बड़ी एक्सपोजर सीमाएं उन आईडीएफ-एनबीएफसी पर भी लागू होंगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाओं का परिचालन) निदेश, 2025 के अनुच्छेद 60A के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय सेवाओं का परिचालन) निदेश, 2025 के अनुच्छेद 18 (4) (i) के अनुसार अपर लेयर नियमों के अधीन हैं।]

बी.3.3 नियंत्रण के माध्यम से अंतर्संबंध और आर्थिक निर्भरता के माध्यम से अंतर्संबंध के बीच संबंध

40. ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां नियंत्रण संबंध और आर्थिक अन्योन्याश्रयता आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए, कनेक्टेड प्रतिपक्षों का एक समूह दोनों प्रकार के कारकों को इस तरह से शामिल कर सकता है कि सभी संबंधित प्रतिपक्ष एनबीएफसी के लिए एक ही जोखिम का गठन करते हैं। प्रतिपक्षकारों के बीच जुड़ाव (यानी नियंत्रण या आर्थिक निर्भरता) के प्रकार के बावजूद छूत का जोखिम मौजूद है। एनबीएफसी को सभी संस्थाओं के संभावित डिफॉल्ट के कारण संक्रमण की श्रृंखला की पहचान करने के लिए प्रतिपक्षों का आकलन करना चाहिए।

बी.4 एक्सपोजर के मूल्य

41. एक प्रतिपक्ष के लिए एक एक्सपोजर ऑन और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर दोनों का गठन करेगा, जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में पूंजी गणना के लिए निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी; यानी, ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर

¹¹ दिनांक 24 जून, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) द्वारा संशोधित किया गया।

¹² दिनांक 25 अगस्त, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) चौथा संशोधन निदेश, 2026 (संशोधित) द्वारा अंतःस्थापित किया गया।



को बकाया राशि पर गिना जाएगा (नेटिंग की अनुमति केवल उन आस्तियों के लिए है जहां मूल्यहास या खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं) जबकि ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर को पूंजी आवश्यकताओं के तहत निर्धारित क्रेडिट रूपांतरण कारक को लागू करके क्रेडिट जोखिम के बराबर परिवर्तित किया जाएगा। इन निर्देशों में अनुमत क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण उपकरणों के साथ एक्सपोजर की भरपाई करने की अनुमति दी जाएगी।

बी.4.1 केंद्रीय प्रतिपक्षों के प्रति एक्सपोजर

42. डेरिवेटिव ट्रेडिंग और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन के कारण केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी) को दिए गए एक्सपोजर को शून्य एक्सपोजर मूल्य दिया जाएगा। हालांकि, ये एक्सपोजर पैराग्राफ 48 में विनिर्दिष्ट विनियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

43. सीसीपी के साथ संपार्श्विक की राशि को एक्सपोजर सीमा तक पहुंचने के लिए गिना जाएगा।

44. **अन्य एक्सपोजर:** अन्य प्रकार के एक्सपोजर जैसे इक्विटी हिस्सेदारी, वित्त पोषण सुविधाएं, ऋण सुविधाएं, गारंटी आदि, किसी भी अन्य प्रकार के प्रतिपक्ष के लिए इन निदेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार मापा जाएगा। इन एक्सपोजर को एक साथ जोड़ा जाएगा और LE सीमा के अधीन किया जाएगा।

बी.4.2 उल्लंघन

45. बड़ी एक्सपोजर सीमाओं का कोई भी उल्लंघन एनबीएफसी के नियंत्रण से बाहर असाधारण परिस्थितियों में होगा, और इसकी सूचना आरबीआई (डीओएस, सीओ) को तुरंत और तेजी से ठीक की जाएगी।

46. एनबीएफसी तब तक कोई और एक्सपोजर (इकाई या समूह स्तर पर, जैसा भी मामला हो) नहीं कर सकती है, जब तक कि इसे सीमा के भीतर नहीं लाया जाता है।

47. एक्सपोजर सीमा का पालन करने में विफलता के कारण पर्यवेक्षक द्वारा एनबीएफसी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

बी.5 विनियामक रिपोर्टिंग

48. एक एनबीएफसी [अनुबंध-1](#) में दिए गए रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (डीओएस, सीओ) को अपने बृहद एक्सपोजर की रिपोर्ट करेगा। एलईएफ रिपोर्टिंग में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) सभी एक्सपोजर, बृहद एक्सपोजर की परिभाषा को पूरा करते हैं;
- (2) अन्य सभी एक्सपोजर, जैसा कि इन निदेशों के पैराग्राफ 41 से 44 में विनिर्दिष्ट किया गया है, क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण उपकरणों के साथ एक्सपोजर मूल्य की भरपाई किए बिना, जहां मूल्य एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हैं।;



- (3) एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्य वाले सभी छूट वाले एक्सपोजर; तथा
- (4) आवेदन के दायरे में शामिल 10 सबसे बृहद एक्सपोजर शामिल हैं, भले ही एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के सापेक्ष इन एक्सपोजर के मूल्य कुछ भी हों।

सी. आंतरिक एक्सपोजर सीमाएँ

49. इन निदेशों के पैराग्राफ 24 में विनिर्दिष्ट एसएसई पर आंतरिक सीमाओं के अलावा , एनबीएफसी का बोर्ड अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आंतरिक एक्सपोजर सीमा भी निर्धारित करेगा जिन पर ऋण बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, एनबीएफसी क्षेत्र में एक्सपोजर के लिए एक आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा निर्धारित करेगी।



अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यवृत्ति

50. इन निदेशों के जारी होने के साथ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशा-निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

51. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निर्देशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या स्वीकृतियों को इन निर्देशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन अनुदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

- (1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या खर्च किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या दायित्व;
- (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;
- (3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर कोई रोक नहीं है।

52. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

53. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक



अनुबंध - I

बृहद एक्सपोजर पर प्रतिलाभ

एनबीएफसी का नाम	
महीने का प्रतिलाभ	
पात्र पूंजी आधार (टियर 1)	(₹. करोड़)

क. एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के सापेक्ष उनके मूल्यों के बावजूद प्रतिपक्षकारों (एकल और साथ ही जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूह) के लिए एनबीएफसी के 10 सबसे बृहद एक्सपोजर

क्रम संख्या	प्रतिपक्ष का नाम	चाहे सम्बद्ध प्रतिपक्षों का एकल (एस) या समूह (जी) हो	एक्सपोजर राशि	एक्सपोजर के रूप में टियर 1 पूंजी का प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
--				
--				
18.				
19.				
20.				

ख. टियर-1 पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्यों के साथ एनबीएफसी के एक्सपोजर

क्रम संख्या	प्रतिपक्ष का नाम	चाहे सम्बद्ध प्रतिपक्षों का एकल (एस) या समूह (जी) हो	एक्सपोजर राशि	एक्सपोजर के रूप में टियर 1 पूंजी का प्रतिशत
1.				
2.				
--				
n				

ग. एनबीएफसी के अन्य एक्सपोजर (क्रेडिट अंतरित लिखत को ऑफसेट किए बिना मापा जाता है) टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्यों के साथ (पहले से ही बी में रिपोर्ट किए गए एक्सपोजर सहित)

क्रम संख्या	प्रतिपक्ष का नाम	चाहे कनेक्टेड प्रतिपक्षों का एकल (एस) या समूह (जी) हो	एक्सपोजर राशि	एक्सपोजर के रूप में टियर 1 पूंजी का प्रतिशत
-------------	------------------	---	---------------	---



1.				
2.				
--				
एन.				

डी. एनबीएफसी द्वारा टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्यों के साथ एक्सपोजर को छूट दी गई

क्रम संख्या	प्रतिपक्ष का नाम	चाहे संबद्ध प्रतिपक्षों का एकल (एस) या समूह (जी) हो	एक्सपोजर राशि	एक्सपोजर के रूप में टियर 1 पूंजी का प्रतिशत
1.				
2.				
--				
एन.				